<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 116/2022

सुज्ञान्ति देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
23.05.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं०–35/2019 में दिनांक 22.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2022 को सुनवाई कर वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय से अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित किया गया था। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :– (i) दिनांक 27.05.2019 को आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) द्वारा पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत ग्राम पंचायत–अहवर मझरीया, वार्ड सं०–01, आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–133 के लिए आँगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन हेतु आवेदन समर्पित किया गया। उक्त केन्द्र पर कुल 5 अभ्यर्थियों ने आवेदन समर्पित किया, जिसके आधार पर औबंधिक मेधा सूची तैयार किया गया। मेधा क्रमांक 01 पर	

विपक्षी सं०–03 (श्रीमती संजू कुमारी) का नाम अंकित था एवं मेधा क्रमांक 02 पर वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) का नाम अंकित था।

(ii) दिनांक 28.06.2019 को प्रकाशित मेधा सूची के विरूद्ध वादी द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया कि वादी उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–133 पर विगत 15 वर्षों से आँगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्य कर रही है। विभागीय पत्रांक 2222 दिनांक 25.05.2018 की कंडिका–08 (अ) के अनुसार यदि किसी केन्द्र की सहायिका भी सेविका पद हेतु उम्मीदवार हो तो मेधा अंक के निर्धारण में 10 अतिरिक्त अंकों का बोनस अंक देते हुए मेधा सूची का निर्माण किया जाना है, जिसके आधार पर वादी ने मेधा अंक में 10 अंक बोनस के रूप में जोड़कर मेधा सूची प्रकाशित करने का अनुरोध किया।

(iii) दिनांक 27.05.2019 को विज्ञापन प्रकाशन कि तिथि के समय चयन मार्गदर्शिका–2016 का संशोधित प्रावधान पत्रांक 2222 दिनांक 25.05.2018 प्रभावी था। सेविका के पद पर विज्ञापन चयन मार्गदर्शिका–2019 के प्रकाशन के पूर्व ही हो चुका था। इसलिए उक्त केन्द्र पर चयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका–2018 प्रभावित होगा, जिसके आधार पर वादी के मेधा अंक 50.57 में 10 अंक बोनस के रूप में जोड़ने के पश्चात् कुल मेधा अंक 60.57 हो जायेगा। इस प्रकार वादी का मेधा सूची में प्रथम स्थान पर होगा।

(iv) दिनांक 12.09.2019 को आम सभा में वादी द्वारा आपत्ति किया गया कि उक्त केन्द्र पर सहायिका पद पर कार्यरत रहने के कारण 10 अंक बोनस के रूप में मेधा अंक में जोड़ा

WEB COPY NOT OFFICIAL

जाय, लेकिन महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आपत्ति का निराकरण किये बिना गलत तरीके से विपक्षी सं०–03 संजू कुमारी का चयन कर लिया गया। जिसके विरूद्ध वादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 17086/2019 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 17.10.2019 को पारित आदेश के आलोक में वादी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया के समक्ष वाद सं०–02/2019 दायर किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेतिया ने दिनांक 05.12.2019 को आदेश पारित करते हुए विपक्षी सं०–03 (श्रीमती संजू कुमारी) को सेविका पद से चयन मुक्त कर दिया तथा वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) को सेविका पद पर चयनित किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं०–03 (श्रीमती संजू कुमारी) द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष वाद सं०–35/2019 दायर किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22.04.2022 को आदेश पारित करते हुए वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) को पदच्युत कर दिया गया और विपक्षी सं०–03 (श्रीमती संजू कुमारी) को पुर्नबहाल किया गया, जो गलत है। अतएव जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं०–03 श्रीमती संजू कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आई०सी०डी०एस० निदेशालय, (समाज कल्याण विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 286 दिनांक 27.05.2019 द्वारा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2019 अधिसूचित होने के फलस्वरूप पूर्ववर्ती संशोधित मार्गदर्शिका–2018 निष्प्रभावी एवं निरस्त हो गयी। चयन मार्गदर्शिका–2019 में पूर्व से कार्यरत सहायिका हेतु

WEB COPY NOT OFFICIAL

10 अंक बोनस का प्रावधान नहीं है। वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) का नाम मेधा सूची में मेधा अंक 50.57 के साथ द्वितीय स्थान पर था, जबकि विपक्षी सं०—03 (श्रीमती संजू कुमारी) का नाम मेधा अंक 56. 59 के साथ प्रथम स्थान पर था। इस प्रकार विपक्षी सं०—03 (श्रीमती संजू कुमारी) का चयन विधिसम्मत है एवं वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) द्वारा दायर पुनरीक्षणवाद निरस्त होने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विज्ञापन आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका—2019 से संबंधित है, जिसमें पूर्व से कार्यरत सहायिका हेतु बोनस अंक का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है एवं यह वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत ग्राम पंचायत—अहवर मझरीया, वार्ड सं०—01, आँगनबाड़ी केन्द्र सं०—133 के लिए आँगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन से संबंधित है। उक्त विज्ञापन का प्रकाशन आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका—2019 के आलोक में दिनांक 27.05.2019 को हुआ था। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने विभागीय पत्रांक—2684 दिनांक—24.05.2019 का उल्लेख करते हुए बताया की उक्त पत्र के आलोक में वादी की चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है अर्थात वर्ष 2016 के मार्गदर्शिका प्रश्नगत मामले में लागू होगा इसलिए वादी को बोनस अंक मिलना चाहिए, के संबंध में उल्लेखनीय है कि वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस पत्र का उल्लेख किया गया है उसी पत्र में **विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि दिनांक—27.05.2019** स्पष्ट रुप से अंकित है एवं आँगनबाड़ी

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका– 2019 दिनांक–27.05.2019 से ही लागू है। उक्त मार्गदर्शिका के पैरा–01 में भी अंकित है कि ***" आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु पूर्व में निर्गत की गई मार्गदर्शिका को विलोपित करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केन्द्रों के सफल संचालन हेतु नई मार्गदर्शिका निम्न प्रकार से अधिसूचित की जाती है ।"*** अतएव प्रश्नगत मामले में वादी के विद्वान अधिवक्ता का उक्त दावा मान्य नहीं हो सकता है। अब जहॉ तक वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस दावे का प्रश्न है कि आँगनबाड़ी सेविका के चयन में पूर्व से सहायिका के पद पर कार्यरत वादी (श्रीमती सुज्ञान्ति देवी) को 10 बोनस अंक का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, के संबंध में उल्लेखनीय है कि आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2019 में सेविका के चयन में पूर्व से कार्यरत सहायिका को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार वादी का यह दावा भी मान्य नहीं हो सकता है एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को अस्वीकृत किया जाता है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL